न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रकरण सं. 04/2022
जीसीएमएसः– 2022/66

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. हिरकन पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई निवासी जैलातरा तह–सांचौर जिला सांचौर		1. शांतिदेवी पत्नी साजनराम जाति विश्नोई निवासी जैलातरा तह–सांचौर जिला सांचौर । 2. तहसीलदार (भूमिधारी)सांचौर जिला सांचौर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
तारीख रजूः– 13.07.2022

उपस्थितः–

1. इब्राहीम शॉह अधिवक्ता प्रार्थी।
2. अप्रार्थी संख्या 01 एक पक्षीय।
3. अप्रार्थी 02 राज पैरोकार उपस्थित।

निर्णय **दिनांक 18.06.2024**

वकील मय प्रार्थीया ने एक राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया कि राजस्व मौजा जैलातरा पटवार हल्का पमाणा तह–सांचौर में प्रार्थी के खातेदारीसुदा की आराजी नवीन खाता नम्बर 408 नवीन खेत खसरा नम्बर 676 रकबा 0.84 हैक्टयर किस्म चाही दोयम,जाव दोयम के कब्जा काश्त व राजस्व रेकर्ड में दर्जसुदा आई हुई है। मुझ प्रार्थी के उक्त खातेदार आराजी खेत खसरा नम्बर 676 रकबा 0.84 हैक्टयर किस्म चाही दोयम, जाव दोयम के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 01 शांतिदेवी पत्नी साजनराम जाति विश्नोई निवासी जैलातरा के नाम खातेदार आराजी नवीन खेत खसरा नम्बर 1642/676 रकबा 0.15 हैक्टयर स्थित है। अप्रार्थी संख्या 01 मुझ प्रार्थी के उक्त खेत खसरा नम्बर 676 रकबा 0.84 हैक्टयर की पश्चिमी माठ तोडती रहती है। तथा अप्रार्थीया संख्या 01 को ओलभा देने पर मरने मारने पर उतारू हो जाती है। ऐसी सूरत में मैं प्रार्थी मेरे उक्त खेत की पश्चिमी माठ पर पत्थरगढ्ढी करवाना चाहता हूँ । इस कारण प्रार्थी ने सीमा चिन्हो के ज्ञान हेतु तहसीलदार सांचौर के कार्यालय में उपस्थित होकर भूमि पैमाईश कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसपर भूमिधारी तहसीलदार सांचौर द्वारा के आदेश क्रमांक/सम/1454–56 दिनांक 18.04.2022 को दर्ज किया गया और जांच तथा सीमाज्ञान के लिए हल्का पटवारी सांचौर को आदेशित किया गया।

तहसीलदार सांचौर के उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी पमाणा मौके पर आये तथा मौका देखा तो मौजा जैलातरा पटवारी हल्का पमाणा व साथ ही पुलिस जाब्ता थाना झाब के साथ खेत खसरा नम्बर 676 रकबा 0.84 हैक्टयर में जरीब चलाकर चारो माठो का सीमाज्ञान कर सीमाज्ञान से अवगत करवाया गया। इसके उपरान्त भी अप्रर्थी संख्या 01 पश्चिमी माठे तोडती रहती है। इस कारण सीमा विवाद निपटारे हेतु उपरोक्त खेतो के पश्चिमी माठ की तरफ पत्थर गढ़ी की जानी न्यायहित में आवश्यक है । प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार तथा अपनी भूमि की पैमाईश कर सीमाचिन्हों के अनुसार पत्थरगढी करवाने का कानूनी अधिकार होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का माननीय अदालत में पेश किया।

प्रार्थना पत्र दिनांक 13.07.2022 को दर्ज रजिस्ट्रर होकर अप्रार्थीगण को जरिए नाटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 बावजूद तामिल के अनुपस्थित, एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

हमनें पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया।प्रार्थीगण अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी। प्रार्थीगण ने मौजा जैलातरा पटवार हल्का पमाणा तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 676 रकबा 0.84 हैक्टयर किस्म चाही दोयम, जाव दोयम के पश्चिम दिशा की पेमाईश कर पत्थर गढ्ढी करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना के साथ संलग्न जमांबदी, नक्शा व हल्का पटवारी की मौका फर्द के अनुसार प्रार्थीया के उक्त खातेदारी खेत की पश्चिमी माठ के अलामात व सीमाज्ञान कर पत्थर गढ्ढी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा पेश धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षत प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मौजा जैलातरा पटवार हल्का पमाणा तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 676 रकबा 0.84 हैक्टयर किस्म चाही दोयम, जाव दोयम भली भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांचौर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है ओर प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि राशि 1000 रूपये कमिश्नर शुल्क अदा करे। तहसीलदार साचौर को निर्देशित किया जाता है कि खातेदारान के मध्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111–128 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करे तथा प्रार्थीगण के हर्जे खर्चे पर उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा विभाजक चिन्ह रोपित करावे। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इस कदर निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उक्त आज दिनांक 18.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner